




Scholarship and Fee Reimbursement Online System

File No.26-3099/300/2021- -3-



ENGLISH TRANSLATION

SUBJECT- Regarding preparation of master database of courses related to post-matric scholarship and fee reimbursement for class 11-12 and other post-matric classes in the financial year/academic session-2020-21, locking verification and issuing proposed time-table for distribution of scholarship/fee reimbursement application to the students.

प्राचार्या चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज,गोरखपुर





Scholarship and Fee Reimbursement Online System

File No.26-3099/300/2021- -3-

	हुये). पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय के नाम एवं आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित/अयतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	
1ए	प्रदेश के बाहर की नवीन शासकीय (Govt) व शासकीय सहायता (Govt Aided) प्राप्त संस्थार्य योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश ध्राववृति) निदेशालयः, समाज कल्याणः, उतर प्रदेश। त्रखनङ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु औनलाईन एयं हार्डकापी स्पीड पोस्ट .निदेशकः, समाज कल्याणः, उत्तर प्रदेशः, 3-प्राण नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनङ- 226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	05 मई 2022 से 31 मई 2022 तक।
।बी	योजनाधिकारी (बाह्य प्रदेश एजच्नृति) से पासवर्ड प्राप्त करके (नवीन संस्थायें) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/ अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ड पास पुरानी संस्थाओं) द्वारा पाठ्यक्रम । पाठ्यक्रम का प्रकार। पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्पारित शुल्क। पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (सेमेस्टर की दशा में दो सेमेस्टर के अंकों को मिलाते हुये) ,पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित करना।	05 मई 2022 से 06 जून 2022 तक। (नोट:-राज्य में बाहर की पूर्व से पासवर्ड पास पुरानी सस्थाओं द्वारा समस्त सूचनाओं को ओनलाईन अंकित कर डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जा सकता है।)
2	प्रदेश के अन्दर सम्यन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेनु) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (केवल नियमावली में उल्लिखित संस्थानी हेनु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटौं की संख्या एवं कीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ओनलाईन सत्यापित करना।	तक।
zΨ	योजनाधिकारी) बाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति (अन्य प्रदेशी में स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर आनलाइन लाक किया जाना।	तक।
3	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के लोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ओललाईल सत्यापित करना।	तक।
3ए	जनपदीय छात्रवृति स्वीकृति समिति से पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की	

ENGLISH TRANSLATION

प्राचाया चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज,गोरखपुर





Scholarship and Fee Reimbursement Online System

	File No.26-3099/300/20213-	
	संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमंदिन पास कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के सहयोग से सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/ अफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा लोक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लोक न की जाय) ओनलाईन लोक किया जाना।	
कक्षा ११	-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के नवीन (Fresh) एवं नव रेख	N 244 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20
4	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आयेदन किया जाना।	10 मई। 2022 से 07 जुलाई। 2022 तक।
5	ठाव/छावाओं द्वारा किये गये ओनलाईन आयेदन में हुई बुटियों (हाईस्फ्ल) इण्टरमीडिएट रोल नम्बर तथा आय) जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आयेदन का क्रमांक) ग्रीटेंय स्पना विमान केन्द्र। लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोटेंल पर स्टूडेन्ट संक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आयेदन पूर्ण करने तथा फाइनल चिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
6	ओनलाईन आवेदन पत्र की हाई कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वाखिल संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आयंदन पत्र भरने के 04 दिन के अन्दर) विलम्बतम 11 जुलाई। 2022 तक।
7	ठात्र/ठात्रा द्वारा ओललाईन आयेदन पत्र की साईकापी एव संलग्न अभिलंखों से ठात्र/ठात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ओललाईन आयेदन प्राप्त करना, अपात्र ठात्रों का आयेदन निरस्त करना तथा पात्र ठात्रों का आयेदन ओललाईन सत्यांपित एवं अग्रसारित करना।	15 मई 2022 से 13 जुलाई 2022 तक।
8	छात्र/फात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा ओनलाईन फात्र/फात्रा के सम्मुख यथा स्थान अकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों। शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/फात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	तक।
9	जिला विधालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेन्तु) एव सम्यन्पित विश्वविद्यालय एवं एफिलियोटॅंग एऊंन्ली द्वार संस्था की मान्यता. पाठ्यकम. पाठ्यकम का वर्ष ए अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या के प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाई- सत्यापित करना। अधात्र छात्रों, पाठ्यकमों, संस्थाओं व	T Si Si

PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त 14 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2022

File No.26-3099/300/2021- -3-

टलोक करना।

चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्च महिला पी० जी० कालैज,गोरखपुर





Scholarship and Fee Reimbursement Online System

	File No.26-3099/300/20213-	
	3-पाग नरायन रोड, कल्याण भवन, लखनङ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना।	
ং থী	योजनाधिकारी (याद्य प्रदेश छात्रवृति) से पासवर्ष्ठ प्राप्त करके (नयीन संस्थाये) मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें अरकर/अपलोड करके डिजिटन संस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं (नवीन एवं पूर्व से पासवर्ष्ठ प्राप्त पुरानी संस्थाओं द्वारा पाठ्यफ्रम्। पाठ्यफ्रम् वा प्रकार, पाठ्यफ्रम्यार कुल सीटों की संख्या. सक्षम स्तर से निर्धारित शुन्क, पाठ्यफ्रम्यार पूर्णांक (सेमेस्टर की देश). पाठ्यफ्रम्यार प्रणांक (सेमेस्टर की देश). पाठ्यफ्रम्यार एकिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आइस कोड (AISHE CODE) आदि सूचनाओं को अंकित करना।	
2	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के लोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेन्दु) तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी (केवल नियमावली में उल्लिखित संस्थालों हेन्दु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटौं की संख्या एयं कीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ओनलाईन सत्यापित करला।	
20	योजनाधिकारी। याद्य प्रदेश छात्रवृति (अन्य प्रदेशी में 26 अगस्त 2022 से 26 सितम्बर स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानी हेतु) द्वारा सभी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार सीटों की संख्या एवं कीस का विवरण प्राप्त अभिलेखों के आधार पर औनलाईन लोक किया जाना।	
3	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार एवं अंकित फीस आदि की प्रमाणिकता को संबंधित शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा ओनलाईन सत्यापित करना।	•1
3ए	जनपदीय छात्रवृति स्वीकृति समिति से पाठ्यकम। पाठ्यकम के प्रकार, सक्षम स्तर से अनुमोदित सीटों की संख्या तथा सत्यापित फीस का आनलाइन प्रारूप पर अनुमोदन प्रारू कर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हो समी संस्थानों के प्रकार, पाठ्यकम, पाठ्यकम का प्रकार, सीटो की संख्या एवं फीस का विवरण (विश्वविद्यालय/ अफितियेटिंग एजेन्सी द्वारा लोक की गयी सीट संख्या एवं फीस से अधिक लोक न की जाय) आनलाइन लाक	

..... 6t

प्राचायां चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज,गोरखपुर







Scholarship and Fee Reimbursement Online System

File No.26-3099/300/2021- -3-

4	छात्र/छात्राओं हारा ओनलाईन आयेदन किया जाना।	08 जुलाई 2022 से 07 नवंबर 2022	
		तक।	
5	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ओललाईन आवेदन में हुई दुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा ओनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल पिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दियसी में।	
6	ओनलाईन आयेदन पर की हाई कापी छात्र/छात्राओं द्वारा याफिल संलग्नको सहिल शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	10 सर्वेषर २०२२ सका	
7	छात्र/छात्रा द्वारा ओनलाईन आवेदन पत्र की हाईकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण सस्थान द्वारा मिलान किया जाना पर्य ओनलाईन आवेदन प्राप्त फरना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ओनलाईन सत्यापित एवं अवसारित करना।	10 जुलाई 2022 से 15 नववर 2023 तक।	
8	जिला विधालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेन्,) एवं सम्बन्धित विश्वविधालय एवं एकितियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्णवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाईन सत्यापित करना। अधात्र छात्रों, पाठ्यक्रमी, संस्थाओं को इलांक करना।	10 दिसंबर 2022 तक।	
9	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन०आई०सी० की राज्य इकाई में किर्पारत विभिन्न विन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।		
10	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बद्ध्य में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एय जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल मिरनेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	र तक।	
11	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन०आई०सी० की राज्य इकाई से मॉंग सजित कराना।		
12	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर बैंक/कोषागार के ई-पेमेण्ट(e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों/बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना। णों के संदेहास्पद डाटा को छात्रों द्वारा सही करने एवं संस्था		

6/9

चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्च महिला पी० जी० कालैज,गोरखपुर





Scholarship and Fee Reimbursement Online System

File No.26-3099/300/202

13	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र तर लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन	02 दिसम्बर 2022 से 15 दिसम्बर 2022 तक।
	तथा संस्था को आञ्चलबा सास्त जाता पत्र की बुटियाँ	आवेदन पत्र भरने के पश्चात् विलम्बतम 20 दिसम्बर 2022 तक।
14	को ठीक करके हाडेकापा समस्या महित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा संस्था	
	को अभिलेखों सहित उत्तर देना।	03 दिसम्बर 2022 से 27 दिसम्बर
15	को अभिलेखों सहित उत्तर देशा। बुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आयेदन पत्रों का विधालय द्वारा संलग्न अभिलेखों से मिलान करके ओनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना तथा छात्र द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों को	2022 तक। 28 दिसम्बर 2022 से 13 जनवरी
	जिला कल्याण अधिकारिया का उपा	28 दिसम्बर 2022
16		
	एन०आई०सी० की राज्य इकाइ पर पुनः परीक्षण किया जाना। जनपदीय फाववृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद जनपदीय फाववृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद	14 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 202
17	एवं अवशेष शुद्ध डाटा को कात्रवृति तथा थुल्क प्रतिपूर्ति जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृति तथा थुल्क प्रतिपूर्ति	
	के डिजिटल सिग्नेचर से डीटा लाग	21 फरवरी 2023 तक।
1.8	सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर	
		24 फरवरी 2023 तक।
19	जनपद स्तरीय विभागाय पर कोषागार के ई- सिनमेचर से लॉक डाटा के आपार पर कोषागार के ई- पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS प्रणाली के माध्यम से छात/छात्राओं के आधार लिंक बैंक खाती/ बैंक खातों में सीचे धनराशि अन्तरित किया जाना।	1

नोटः-

उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद / उत्तीर्ण / प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे। नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Numer) अंकित करते हुये ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी। आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी। आवेदन किया जाना है। रवीनीकरण के अवेदन में कोई उन्य सूचना नहीं भरनी होगी। सात्र हारा वार्षिक परीक्षा फल / दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्सन चुनते हुए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेंगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्यद श्रेणी में रहेगा तथा समय-सारिणी में संदेहास्यद डाटा को सही करने की समयाविधे (02 दिसम्बर 2022 से 15 दिसम्बर 2022 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित

चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज,गोरखपुर





Scholarship and Fee Reimbursement Online System

File No.26-3099/300/2021- -3-

कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन की अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

संस्था द्वारा छात्र का आयेदन ऑनलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (संमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का प्राप्तांक एवं पूर्णांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत भरना अनिवार्य होगा।

विश्वविद्यालय एव एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माङ्यूल पर अपलोड करेगे जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइय हो सके तथा स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त सशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमाविलयों में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022-23 में दशमीत्तर योजना का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Signed by रजनीश चन्द्र Date: 02-05-2022 15:44:18 Reason: Approved

पृ०सं०— ५ ७७ / २०२२ / ९०२ (१) / २६–३–२०२२ तद्दिनांकः— प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।

- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा / उच्च शिक्षा / तकनीकी शिक्षा / व्यवसायिक शिक्षा / चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०५०
- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निवेशक, समाज कल्याण।

निदंशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

5— निदेशक, कोषागार, उ०प्र0लखनऊ।

6— निदेशक, पिछङ्गा वर्ग / अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनक।

गुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

- हैनदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9— समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

10- गार्ड फाईल।

(रजनीश चन्द्र) विशेष सचिव।

चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज,गोरखपुर





Scholarship and Fee Reimbursement Online System

··· 69

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

च्याक - प्रि-**403**/ स0क0 / शिक्षा - अ / 7 / 76 / 2022 - 23

लखनऊ, दिनांकः 🔞 ५ मई, २०२२

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अत्पसंख्यक कल्याण / समाज कल्याण / पिछडा वर्ग कल्याण विभाग।

2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3— निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

 निदेशक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा व बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी / वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय-सारिणी के शासनादेश संख्या-47 / 2022 / 902 / 26-3-2022-4(358) / 07 टी.सी. III दिनांक 02.05.2022 की प्रति छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ करने के साथ-साथ तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र०।

9- रजिस्ट्रार, आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बी, योगा सिद्ध बोर्ड, उ०प्र०।

10- वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।

11- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

12- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद में स्थित विश्वविद्यालय एवं अन्य एफिलियेटिंग एजेंसी तथा अन्य शिक्षण संस्थानों में व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए संबंधित को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।

05 5 2022

चन्द्रकान्ति रमावती देवी आर्य महिला पी० जी० कालेज,गोरखपुर